

29.10.21

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित 19.10.21

कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली

लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय को पत्रावली

पर दिनांक 1/12/21 को पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

1/12/21

पत्रावली में प्रकृत पत्रावली को अलग से अपने
कद को अलग से पत्रावली में पत्रावली को अलग से
अपने कद में 104-1085 को पत्रावली को अलग से
पत्रावली को अलग से 104-1085 में आयोजित किया
जा रहा है पत्रावली में प्रकृत पत्रावली को अलग से
पत्रावली को अलग से अलग से अलग से

not press

[Signature]

1-12-2021

प्रशासन गावों के संग
अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)